आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

घर-घर औषधि योजना

क्रमांकः एफ 15 (10)एल—11/गोप्र/प्रमुवस/2998/C दिनांक : 19.04.2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1862—1973/सी दिनांक 10.4.2023 द्वारा वन रक्षक/सहायक वनपाल की दिनांक 1.4.2023 की वरिष्ठता सूची संबंधित कार्यालय द्वारा जारी कर वन रक्षकों एवं सहायक वनपाल के पदों की पदोन्नति प्रकिया संबंधित वन मंडलों द्वारा पूर्ण कराये जाने के आदेश प्रचलित किए गए थे।

इस क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 1.4.2023 की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियों को प्रकाशित कराकर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में पदोन्नति समिति के गठन/बैठकों संबंधी विहित प्रावधान अनुरूप यथाशीघ्र बैठकों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन एवं पदोन्नति संबंधी कार्यवाही करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना भी आवश्यक रूप से की जानी है :—

1. कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में विहित प्रावधानों एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों अनुरूप ही किया जाना है।
2. सेवा नियमानुसार वनपाल संवर्ग में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों का अनुपात 50 : 50 है। तदनुसार पदोन्नति के पदों की गणना के समय उक्त अनुपात में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना है।
3. पदोन्नति हेतु वांछित कार्यानुभव की गणना निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के 1 अप्रेल से पदोन्नति वर्ष के 1 अप्रेल तक की जानी होती है। कार्यानुभव की गणना के क्रम में कार्मिक (क—2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 2 (1) कार्मिक/ क—2/अप्र/91 दिनांक 31.3.2015 की पालना सुनिश्चित करें।
4. कार्मिक विभाग क` परिपत्र दिनांक 29.5.2020, 27.7.2020, 27.10.2020 एवं 30.6.2021 से पदोन्नति हेतु रोस्टर पंजिकाओं के संधारण हेतु उनके परिपत्र दिनांक 24.2.2020 से जारी दिशा—निर्देशों की कठोरता से पालना करने के निर्देश जारी किये गए हैं। अतः पदोन्नति की कार्यवाही से पूर्व उक्तानुसार रोस्टर पंजिकाओं के संधारण की सुनिश्चिता की जानी है। इस क्रम में समस्त मुख्य वन संरक्षकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कार्मिक विभाग के दिशा—निर्देशानुसार रोस्टर पंजिकाएं अद्यतन स्थिति में संधारित की जा रही हैं।
5. दिनांक 01 जून, 2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने पर पूर्व के वर्षो में जिन लोक सेवकों को पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया था, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.3.2023 के क्रम में उन लोकसेवकों की रिव्यू डी.पी.सी. के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही वर्ष 2023—24 की डी.पी.सी. की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan Pandey
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.04.19 ..:28:17 IST
Reason: Approved

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

घर-घर औषधि योजना

6. इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पूर्व में त्रुटिपूर्ण डी.पी.सी. किए जाने के कारण पूर्व की डी.पी.सी. को रिव्यू किए जाने के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किए गए है।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा पदोन्नति संबंधी कार्यवाही हेतु परिपत्र दिनांक 04.06.2008 एवं समय समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किये गए हैं। अतः वर्ष 2023–24 की वन रक्षक से सहायक वनपाल एवं सहायक वनपाल से वनपाल की डी.पी.सी. में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें एवं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों में वन रक्षक एवं सहायक वनपाल की वरिष्ठता सूचियों के प्रकाशन पश्चात त्रुटिरहित पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

भवदीय

(डॉ दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 15 (10)एल–11/गोप्र/प्रमुवस/2999-3109/c दिनांक : 19.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दो./ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी., जयपुर/निदेशक राज.वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान,जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरा.वृक्षा.परि.राज.जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज.जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/ उदयपुर/जोधपुर/ बीकानेर /भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का (अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)
8. मुख्य वन संरक्षक वन वर्धन, जयपुर/आर.वी.पी.कोटा/एफ.पी.आर.पी.जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर/निदेशक परिचालन राज.वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
10. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिक को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन किए जाने हेतु।
11. समस्त उप वन संरक्षक गण।
12. रक्षित पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Deep Narayan Pandey
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.04.19 ?:28:17 IST
Reason: Approved